

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Mem

Dated- 30-10-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.4905 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Devinagar(Dhampur)-Tusrera-Thanga motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Tusrera and Thanga** villages in **Kanda** Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.4905 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 30-10-2015

Signature

(Bhupal Singh Manral,
District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ठांगा
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (288.5 है० आरक्षित वन भूमि, ०.०० है० सिविल सोयम भूमि, 1.6०9० है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.49०5 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ठांगा द्वारा दिनांक 2.9.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्मित करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तुसरेरा एवं ठांगा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० /

ग्राम सचिव



ह० /

ग्राम प्रधान

वि० ख० व जनपद बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 2-9-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ठांगा

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेश्वर उल्लाह उग्रो	Rajeshwar
2	श्री श्री चन्द उग्रो	Chand
3	रमेश उग्रो	Ramesh
4	प्रमोद उग्रो	Prasad
5	मोहन चन्द उग्रो	Mohan
6	मोहन चन्द उग्रो	Mohan
(7)	विजय उग्रो	Vijay
(8)	विनोद उग्रो	Vinod
(9)	महेश उग्रो	Mahesh
(10)	महेश उग्रो	Mahesh
(11)	संजय उग्रो	Sanjay
(12)	मनचन्द उग्रो	Manchand
(13)	गोविन्द राम	Gopinath
(14)	पूरनराम	Purnam
(15)	ललित मोहन उग्रो	Lalit
(16)	चन्द राम	Chandram
(17)	मोहन राम	Mohanram
(18)	मोहन राम	Mohanram
(19)	रमेश सिंह	Ramesh
(20)	कुशाल सिंह	Kushal
(21)	केशव सिंह	Keshav
(22)	तारा देवी	Tara
(23)	नवीन सिंह	Naveen
(24)	देवमन्ता	Devamanta

(26) कथातिलक

(27) गीता धार्मिक

(28) हरकाश

(29) तारा धार्मिक

(30) रत्न सिंह

(31) भादो सिंह

(32) कमला देवी

(33) दैरा देवी

(34) धनुषी देवी

(35) मुनी देवी

(36) हरीशचन्द्र

(37) हंसी देवी

(38) मुन्नी-देवी

(39) भक्तिमार्ग

(40) धनुषी देवी

(41) लीला सिंह

(42) आशा देवी

(43) अजय सिंह धार्मिक

(44) कुकाव सिंह धार्मिक

(45) Ramesh Ram

(46) पूरन राम

(47) बलवन्त राम

(48) केदार सिंह

(49) बलवन्त सिंह

हरकाश

Greeta Dharmik

Har K Singh

Tara Dahi

रत्न सिंह

Meera

कमला देवी

Har Dahi

Darshini Dahi

मुनी देवी

हरीशचन्द्र

हंसी देवी

मुन्नी-देवी

Bhakti Marg

धनुषी देवी

लीला सिंह

आशा देवी

Ajay Singh Dharmik

K Singh

Ramesh Ram

पूरन राम

बलवन्त राम

केदार

बलवन्त सिंह

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तुसरेरा
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

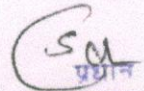
जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.8815 है० आरक्षित वन भूमि, ०.०० है० सिविल सोयम भूमि, 1.6०9० है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.49०5 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन पस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तुसरेरा द्वारा दिनांक 2-०9-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तुसरेरा एवं ठांगा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/
ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत ठांगा
वि० ख० व जनपद बागेश्वर
ह०/
ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 2-9-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तुसरेरा

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेंद्र उषाद उषेती -	
2	श्री - रमेश चन्द्र उषेती -	
3	प्रमोद - चन्द्र उषेती	
4	हेमंत शर्मा	
5	बालाश - चन्द्र	
6	मेहन - चन्द्र	
(7)	विजय उषेती	
(8)	विनोद उषेती	
(9)	महेश उषेती	
(10)	महेश चन्द्र उषेती	
(11)	संजय उषेती	
(12)	प्रशन्त चन्द्र उषेती	
(13)	गोविन्द राम	
(14)	पूरनराम	
(15)	बालिव मेहन उषेती	
(16)	चन्द्रशम	
(17)	सचिन राम	
(18)		
(19)	शिवराम	
(20)	कुशाल सिंह	
(21)	केशर सिंह	
(22)	मतारा देवी	
(23)	नवीन सिंह	
(24)	हेमन्ता	

- १६ दयालु सिंह
- १७ गीता धामिक
- १८ हरक सिंह
- १९ तारा धामिक
- २० रतन सिंह
- २१ मादे सिंह
- २२ कमला देवी
- २३ हीरा देवी
- २४ धनुषी देवी
- २५ मुन्नी देवी
- २६ देवी
- २७ देवी
- २८ मुन्नी देवी
- २९ धन सिंह
- ३० ब्रजमणि जगम
- ३१ धनुषी देवी
- ३२ बलाल सिंह
- ३३ आशा देवी
- ३४ अजय सिंह धामिक
- ३५ कुराल सिंह धामिक
- ३६ Ramesh Ram
- ३७ पूरन राम
- ३८ बलवन्त राम
- केदार सिंह
- बलवन्त सिंह

- ३९ महेन्द्र सिंह
- ४० Greet Dhanik
- ४१ HARKI
- ४२ Tara Dahi
- ४३ Ratan Singh
- ४४ Meel Singh
- ४५ कमला देवी
- ४६ Heera Devi
- ४७ Dhanusi Devi
- ४८ मुन्नी देवी
- ४९ देवी
- ५० देवी
- ५१ देवी
- ५२ मुन्नी देवी
- ५३ धन सिंह
- ५४ Brijmani Jagam
- ५५ धनुषी देवी
- ५६ लाल सिंह
- ५७ आशा देवी
- ५८ Ajay Singh Dhanik
- ५९ Ksingh
- ६० Ramesh Ram
- ६१ पूरन राम
- ६२ बलवन्त राम
- ६३ केदार
- ६४ बलवन्त सिंह

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर
(धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- धांगण (चौकुड़ी)
तहसील काण्डा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.8815 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, 1.6090 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.4905 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम धांगण द्वारा दिनांक 16/8/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धांगण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/

ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ले. ठांगा
1080- बागेश्वर, जिला- बागेश्वर

ह०/

ग्राम प्रधान


1080- बागेश्वर, जिला- बागेश्वर
वि० १०४० व जनपद- बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर
(धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 16/8/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-धौगण (चौकुड़ी)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	पुतापराय	-पुतापराय
②	सीनू देवी	-सीनू देवी
③	हरीश कुमार	-हरीश कुमार
④	दीपक कुमार	-दीपक कुमार
⑤	नवीनचन्द्र पाठक	-नवीन चन्द्र पाठक
⑥	गोपाल दत्त पाठक	-गोपाल दत्त पाठक
⑦	संतप कुमार	-संतप कुमार
⑧	हरीश कुमार	-हरीश कुमार
9-	श्रीपाद सिंह	-श्रीपाद सिंह
10-	शैलेश शर्मा	-शैलेश शर्मा
11-	श्रीपाद सिंह	-श्रीपाद सिंह
12-	हरीश शर्मा	-हरीश शर्मा
13-	गिता देवी	-गिता देवी
14-	सुरेश	-सुरेश
15-	पूरन राम	-पूरन राम

समाप्त शाहवादी देवीनगर धौगण
चौकुड़ी सचिवालय

501

ग्राम पंचायत धौगण
जनपद-बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कांडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- कांडा

उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.8815 है० आरक्षित वनभूमि, 000 है०, सिविल सोयम वन भूमि, 1.6090 है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 4.4905 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कांडा की दिनांक 22.10.2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिचा राम चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्रीमती रेखा कोहली	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री रणजित सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्री पुनर डिटेकरा	बी०डी०सी० क्षेत्र कांडा तहसील	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.4905 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवरीनगर (धामपुर)-तुसरेरा'-ठांगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4905 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 30.10.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.10.2015 द्वारा देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग के लिए 4.4905 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग के लिए 4.4905 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग के लिए 4.4905 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.4905 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 30-10-2013

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर जिलाधिकारी
मुहर बागेश्वर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।